16
15

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

कन्फिस्केशन केस नं0–03/2016

राज्य बनाम बिनोद मोदी एवं 03 अन्य।

आदेश

24.01.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 04/आ0 दिनांक 01.01.16 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के 523/आ0 दिनांक 17.12.15 द्वारा दिनांक 12.12.15 को जप्त किये गये दो बोरा (प्रति बोरा 50 कि0ग्रा0) कुल एक क्विंटल चीनी 6 A के अन्तर्गत कन्फिस्केशन (अधिहरण) करने का अनुरोध संबंधी प्राप्त हुआ है।

पत्र में यह अंकित है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डोमचांच के पत्रांक 51 दिनांक 12.12.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 11.12.2015 के रात्रि लगभग 9.30 बजे मसनोडीह के ग्रामीण द्वारा मोटरसाईकिल संख्या–JH12A 1543 (कावासाकी बॉक्सर) पर दो बोरा प्रति बोरा 50 कि0 ग्रा0 अन्त्योदय चीनी जो BPL/अन्त्योदय कार्डधारियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है को पकडा गया है उक्त दो बोरा चीनी को श्री बिनोद मोदी पिता बद्री मोदी, ग्राम–बेहराडीह के रहने वाले है ले जा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा पूछ–ताछ करने पर बिनोद मोदी ने बताया उक्त दो बोरा चीनी जय माँ काली महिला मंडल, मसनोडीह (जन वितरण प्रणाली) के दुकान से लिया गया है। उक्त दो बोरा चीनी को जाँच पड़ताल के पश्चात दो स्वतंत्र गवाहो एवं पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जप्ति सूची बनाकर मसनोडीह के जन वितरण प्रणाली अनु0 संख्या–17/85 शिवशंकर मोदी को सुरक्षित रखने हेतु सौंप दिया गया। डोमचांच थाना में जय माँ काली महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती आरती देवी पति श्री सच्चिदानन्द, सचिव श्रीमती उमा देवी पति सत्यव्रत मेहता, ग्राम–मसनोडीह एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती कमला देवी पति श्री केदार मिस्त्री को चीनी के कालाबाजारी करने के आरोप में बिनोद मोदी पिता ब्रदी मोदी, ग्राम–बेहराडीह को कालाबाजारी में चीनी खरीदने के आरोप में डोमचांच थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–07 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका नं0 डोमचांच थाना काण्ड संख्या– 155/15 दिनांक 12.12.2015 है। चीनी चूँकि खराब होने की वस्तु है इसलिए उक्त जप्त किये गये तथा जिम्मेनामा पर दिये गये दो बोरा (एक क्विंटल चीनी)को 6 A के अन्तर्गत कन्फिस्केशन (अधिहरण) करने का अनुरोध किया गया है।

C.C.No 120 24.4.17

C.C.No 40 17.2.17

विपक्षी को दिनांक 07.01.16 को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब में कहा गया है कि मेरा विरूद्ध लगाया गया सारा आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। दिनांक 11–12–15 को रात्री 9:30 बजे एक मोटरसाईकिल नं0–JH12A 1543 पर दो बोरा 50 कि0ग्रा0 का चीनी झारखण्ड सरकार BPL/अन्त्योदय कार्ड का आवंटन चीनी को ले जा रहे थे। उक्त आरोप सरकार गलत तथा बेबुनियाद है क्योकि बाजार में खुले तौर पर कही भी एक क्वींटल चीनी खरीदा जा सकता है तथा दिनांक 10/02/2015 को बरनवाल टेडर्स चौक माईका गली झुमरी तिलैया द्वारा कैश मेमो संख्या–556 दिनांक 10/02/2015 को एक क्वींटल उत्तम सुगर कम्पनी का बिनोद मोदी बेहराडीह के नाम पर टेम्पू से भेजा और टेम्पू नवलशाही चला गया तथा टेम्पू चालक नवलशाही का है उसी के द्वारा फोन के माध्यम से विनोद मोदी को सूचित किया कि विपक्षी विनोद मोदी का एक क्वींटल चीनी है जिसे ले जाये।

C.C.No 60 3.3.17

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते कोडरमा

Scanned with CamScanner

इस आधार पर दिनांक 11/12/2015 को विपक्षी को विनोद मोदी मोटर साइकिल से कालाबाजारी चीनी ले जाते पकड़ा तथा पंचनामा मसनोडीह होते हुए अपने गाँव आ रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने शक के आधार पर विपक्षी विनोद मोदी के मोटर साइकिल और चीनी को पकड़ लिया। जप्त चीनी इम्पाल है। जप्ती सूची देखने से साफ जाहिर होता है कि जप्ती सूची में दो बोरा चीनी प्रति बोरा 50 के० जी० की दर से झारखण्ड सरकार द्वारा बी० पी० एल अंत्योदय कार्डधारियो के लिए निर्गत लिखा हुआ है यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जप्त चीनी के बोरा के उपर सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मार्का हो जो बी० पी० एल/अंत्योदय कार्डधारियो के निर्गत चीनी के बोरा में रहता है।

अपर लोक अभियोजक, कोडरमा द्वारा लिखित विधिक मंतव्य है कि,

बिनोद मोदी द्वारा सरकारी वस्तु चीनी की कालाबाजारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–3 का अतिक्रमण किया है जिस कारण धारा–7 में दण्ड के भागी हैं व धारा–6A के तहत जप्ती सूची के अनुसार जप्त चीनी 100 कि०ग्रा० व मोटर साइकिल, जिसपर चीनी ढोया जा रहा था, दोनो राज्यसात किया जायेगा। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा दिया गया राज्यसात का आवेदन सही है वैध है और नियम संगत है, विधि पूर्ण है। इस जप्त वस्तुओं और मोटर साईकिल को राज्यसात किया जा सकता है। अतः वादी विनोद मोदी द्वारा दिए गये आवेदन को खारिज किया जा सकता है और धारा–3, धारा–6A के तहत राज्यसात का आदेश दिया जा सकता है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं जाँच प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। विपक्षी का कहना है कि, जप्ती सूची देखने से साफ, जाहिर होता है कि जप्ती सूची में दो बोरा चीनी प्रति बोरा 50 के० जी० की दर से झारखण्ड सरकार द्वारा बी० पी० एल अंत्योदय कार्डधारियो के लिए निर्गत लिखा हुआ है यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जप्त चीनी के बोरा के उपर सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मार्का हो जो बी० पी० एल/अंत्योदय कार्डधारियो के निर्गत चीनी के बोरा में रहता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार 50–50 कि०ग्रा० का बोरा मशीन से सिलाई किया हुआ था। वादी के द्वारा जप्ती के समय कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में सुनवाई के दौरान बरनवाल टेडर्स, झंडा चौक, माईका गली झुमरी तिलैया द्वारा कैश मेमो संख्या–556 दिनांक 10–02–2015 प्रस्तुत किया है। इस रसीद के संबंध में थाना प्रभारी, डोमचांच के डायरी प्रेषण संख्या–256/16 दिनांक 19–04–2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक अभियुक्त विनोद मोदी पे0–बद्री मोदी, साकिन–बेहराडीह, थाना–डोमचांच, जिला–कोडरमा द्वारा बरनवाल टेडर्स, झंडा चौक, माईका गली झुमरी तिलैया का प्रस्तुत रसीद संख्या–556 दिनांक 10–12–2015 इस काण्ड में सत्य प्रतीत नहीं हो रही है।

अतः उपयुक्त तथ्यों एवं अपर लोक अभियोजक, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में दो बोरा (प्रति बोरा 50 कि०ग्रा०) कुल एक क्विटल चीनी और मोटर साईकिल रजि0 नं0– JH12A 1543 को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है और विपक्षी विनोद मोदी द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को भेंजे।

लेखाापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा। 24/1

उपायुक्त
कोडरमा। 24/1

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

Scanned with CamScanner